न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
003/2022(रसद) (GCMS 2022/17)	11.03.2022	17.05.2022

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. सचिन पिता शान्तिलाल डांगी निवासी बामनिया, शम्भुपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. भरत पिता बगदीराम डांगी निवासी बामनिया, शम्भुपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

विपक्षी

उपस्थिति :– प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार
शुभम सुखवाल अधिवक्ता विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी हितेश जोशी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत पुलिस थाना शम्भुपुरा की प्रथम सूचना रिपोर्ट 208/2021 दिनांक 06.12.2021 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

दिनांक 06.12.2021 को थानाधिकारी शम्भुपुरा से प्राप्त तहरीर क्रमांक 4321 दिनांक 06.12.2021 के आधार पर जिला रसद अधिकारी विनय कुमार शार्मा हमराज मनजीत सिंह प्रवर्तन अधिकारी आवेदक प्रवर्तन अधिकारी के साथ शम्भुपुरा थाना चित्तौड़गढ़ पहुँचे। दिनांक 05.12.2021 को रात्रि 10 बजे थाना शम्भुपुरा से दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि DST चित्तौड़गढ़ द्वारा अरनियापंथ, निम्बाहेडा–चित्तौड़गढ़ रोड पर स्थित होटल देव दरबार के पास वाहनों में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ का व्यापार किया जा रहा है। इस पर जिला रसद अधिकारी हमराह आवेदक प्रवर्तन निरीक्षक के साथ घटना स्थल पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पहुॅचने पर पाया गया कि एक महिन्द्रा पिकअप **GENIO RJ09GA9870** में एक प्लास्टिक की टंकी सफेद रंग की लगी हुई है जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ है। उक्त पेट्रोलियम पदार्थ का विक्रय मौके पर सचिन पुत्र शांतिलाल डांगी निवासी बामनिया शम्भुपुरा द्वारा किया जा रहा था। उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को प्लास्टिक की सफेद टंकी से जुडी मिनी डिस्पेन्सिंग यूनिट के नोजल से निकाला जा रहा था। मौके पर उपस्थित पुलिस जाप्ते को रात्रि का समय होने से समस्त सामग्री समेत पिक अप **GENIO** को डिटेन कर थाना शम्भुपुरा में रखने का कहा गया। पुनः दिनांक 06.12.2021 को थाना शम्भुपुरा पहुॅच कर महिन्द्रा पिकअप **GENIO RJ09GA9870** का निरीक्षण किया गया। उक्त पिकअप के पीछे सफेद रंग की प्लास्टिक की टंकी लगी हुई है जो प्लास्टिक के पाईप से मिनी डिस्पेन्सिंग यूनिट से जुडा हुआ होना पाया गया। प्लास्टिक सफेद रंग की टंकी जिसमें 26 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। एक **Vasewa** मोटर 0.75 एच.पी. की व एक मिनी डिस्पेन्सिंग यूनिट पाया गया। उक्त अभिग्रहित सामग्री को मालखाना इन्चार्ज थाना शम्भुपुरा की सुपुर्दगी में दिया गया। अभिग्रहित 26 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ में से तीन नमूने लिये गये। जिसे क्रमशः ए-1, ए-2, ए-3 मॉर्का दिया गया। प्रत्येक नमूने को एल्यूमिनियम के कंटेनरो में 750 एमएल भर कर प्लास्टिक की सील से अन्दर व वुडन बॉक्स को सील किया गया। नमूनों में से क्रमशः नमूना ए-1 वास्ते टंकी के पास ही एक मोटर जिस पर **Vasewa** लिखा हुआ हैं जो 0.75 एच.पी. की होना अंकित हैं। मौके पर ही वाहन से बेचान करने वाले व्यक्तियों के समक्ष टंकी में रखे पेट्रोलियम पदार्थ का मापन करने पर 26 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया। उक्त दोनों बेचान करने वाले व्यक्तियों ने बताया कि हम वाहनों व पेट्रोलियम पदार्थ को 60-65 रूपये की दर से बेचान करते हैं। सचिन व भरत से पूछताद करने पर पेट्रोलियम पदार्थ के विक्रय, भंडारण, परिवहन संबंधित वैध दस्तावेज मांगने पर दस्तावेज होने से इंकार किया गया। बिना दस्तावेज के अवैध पेट्रोलियम पदार्थ का व्यापार, भंडारण, परिवहन, अपमिश्रण के कारण सचिन डांगी एवं भरत डांगी के कब्जे से निम्न सामग्री अभिग्रहित की गई। महिन्द्रा पिकअप **GENIO RJ09GA09870** **FSL** जांच हेतु थाना शम्भुपुरा की सुपुर्दगी में दिया गया। नमूना ए-2 व ए-3 कार्यालय में जमा करने साथ लिया गया। सचिन पुत्र शांतिलाल डांगी निवासी बामनिया पुलिस थाना शम्भुपुरा मो.नं. 9079037346 एवं भरत पुत्र बगदीराम डांगी निवासी बामनिया शम्भुपुरा निवासी बामनिया शम्भुपुरा मो.नं. 8302435441 एवं महिन्द्रा **GENIO** पिकअप **RJ09GA9870** के मालिक का कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ आदेश 2005 के विरूद्ध है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं। अतः प्रकरण में अभिग्रहित सफेद रंग की प्लास्टिक की टंकी 26 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, एक मोटर **Vasewa** 0.75 एच.पी., एक मिनी डिस्पेन्सिंग यूनिट राजसात करने की कृपा करावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता शुभम सुखवाल हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 06.04.2022 को विपक्षीगण की औार से जवाब पेश कर आवेदन के तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि उक्त प्रकरण में गैर सायलान बस स्टैण्ड पर होटल पर बैठ कर चाय पी रहे थे तभी पुलिस थाना शम्भुपुरा व रसद अधिकारी द्वारा पता नहीं कहा से तेल लेकर आये और हमारी गाडी में रख कर हमें बुला कर उक्त प्रकरण में हमे संलिप्त कर दिया। हमें उक्त जप्तशुदा माल के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। गैरसायलान को जप्तशुदा माल से कोई लेना देना नहीं है। गैरसायलान को तो उक्त प्रकरण में रसद अधिकारी व पुलिस थाना शम्भुपुरा ने गलत तरीके से संलिप्त किया है। यदि माल को राजसात किया जाता है तो गैरसायलान को कोई आपत्ति नहीं है। जप्तशुदा वाहन मालिक को वाहन मालिक के सुपुर्द कर दिया जाता है तो गैर सालयान को कोई आपत्ति नहीं है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि गैरसायलान की औार से प्रस्तुत जवाब स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान के विरूद्ध कार्यवाही को इसी स्टेज पर ड्रॉप किये जाने का आदेश प्रदान करावें। विपक्षीगण की औार से प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 17.05.2022 को उभयपक्ष हाजिर आये एवं उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। पैरोकार सरकार आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षीगण द्वारा अवैध रूप से बाहरी राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थ यहां लाकर अन्य टैंकरों में निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे। इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि का मुख्य कथन यह रहा कि उक्त प्रकरण से उनका कोई लेना देना नहीं है यदि जब्तशुदा डीजल पदार्थ को कब्जे राज लिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर चिंतन–मनन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया। विपक्षीगण द्वारा डीजल पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना स्वीकार किया एवं जब्तशुदा डीजल पदार्थ को कब्जे राज लिये जाने के संबंध में विपक्षीगण को किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया हैं, ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण द्वारा बाहर से अवैध रूप से टैंकरों में डीजल भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से अभिग्रहित सफेद रंग की प्लास्टिक की टंकी 26 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, एक मोटर **Vasewa** 0.75 एच.पी., एक मिनी डिस्पेन्सिंग यूनिट राजसात किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए पुलिस थाना शम्भुपुरा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 208/2021 दिनांक 06.12.2021 में अभिग्रहित सफेद रंग की प्लास्टिक की टंकी, 26 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, एक मोटर **Vasewa** 0.75 एच.पी., एक मिनी डिस्पेन्सिंग यूनिट को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त अभिग्रहित सफेद रंग की प्लास्टिक की टंकी, 26 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, एक मोटर **Vasewa** 0.75 एच.पी., एक मिनी डिस्पेन्सिंग यूनिट को थानाधिकारी, पुलिस थाना शम्भुपुरा से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना शम्भुपुरा को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>**17.05.2022**</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-S/D-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़